मध्यप्रदेश शासन

सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध की चरणबद्ध कार्ययोजना

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध की चरणबद्ध कार्ययोजना

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

संदेश

भारतीय संविधान में स्वच्छ पर्यावरण एवं अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रगति की दौड़ में हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक वस्तुएँ सम्मिलित हो गई हैं जो कि दैनिक जीवन में तो सुविधाजनक लगती हैं, किन्तु अपशिष्टों के रूप में निस्तारण गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करती हैं, जिसमें प्लास्टिक के उपयोग से उत्पन्न होने वाला कचरा भी एक महत्वपूर्ण घटक है। प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण से जल, वायु एवं जमीन सभी प्रभावित हो रहे हैं। अध्ययनों से यह प्रमाणित हो रहा है कि समुद्र में पहुँचने वाले प्लास्टिक कचरे के कारण समुद्री जलीय पर्यावरण एवं जीवन संकट में है। शोध यह भी परिलक्षित करते हैं कि समुद्री नमक में भी प्लास्टिक में मिलने वाले रसायनों के अंश पाये जा रहे हैं जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

प्लास्टिक में बहुत से अच्छे गुण होने के कारण यह हमारी भौतिक प्रगति का एक माध्यम बनकर उभरा है। आज हम प्लास्टिक के बिना भौतिक प्रगति के उच्च आयामों तक पहुँचने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, किन्तु पृथ्वी पर जीवन–चक्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक उपयोग से उत्पन्न कचरे का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा। प्लास्टिक से बनने वाली कुछ वस्तुएँ जिनका हम केवल एक बार उपयोग करते हैं तथा उपयोग के पश्चात् उसे कचरे के रूप में फेंक देते हैं जिसमें उत्तरोतर वृद्धि परिलक्षित हो रही है एवं इसका पर्यावरणीय प्रबंधन एक गंभीर चुनौती है, इसे नियंत्रित करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन हेतु देश में कानून लाने वाला पहला राज्य मध्यप्रदेश है। हम अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं एवं इसके प्रतिबंध हेतु वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता के संदर्भ में चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त कार्ययोजना के अनुसार हम अपने लक्ष्य की पूर्ति में अवश्य ही सफल होंगे एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु अपने दायित्व का निर्वहन कर सकेंगे। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर कार्ययोजना तैयार करने के लिए मैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शुभकामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसके सुपरिणाम प्रदेशवासियों को शीघ्र प्राप्त होंगे।

शुभकामनाओं सहित।

(सज्जन सिंह वर्मा)
मंत्री, लोक निर्माण तथा पर्यावरण
मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन

संदेश

मध्य प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में देश का अग्रणी राज्य रहा है। राज्य शासन द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में पहला कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 पारित किया गया था। उक्त अधिनियम के माध्यम से प्रदेश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रावधान किये गए हैं।

प्लास्टिक एक नॉन–बॉयोडिग्रेडेबल पदार्थ है जो बैक्टीरिया के द्वारा सामान्य रूप से नष्ट नहीं होता है। वजन में हल्का एवं किसी भी आकार में मोल्ड योग्य होने से भौतिक प्रगति में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्लास्टिक की एक छोटी सी पॉलीथीन थैली को भी पूरी तरह से नष्ट होने में हजारों साल का समय लग सकता है। प्लास्टिक की वस्तुएँ बनाने में उपयोग होने वाले केमीकल काफी जहरीले होते हैं, इनमें जायलेन, एथलीन आक्साईड और बैनजीन जैसे खतरनाक रसायन विद्यमान होते हैं, ये रसायन मानव जीवन, पशुओं, वनस्पतियों तथा अन्य सभी पर्यावरणीय घटकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। प्लास्टिक के निरंतर उपयोग करने, जलाने व अनियंत्रित वातावरण में फैंके जाने से भी पर्यावरण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में लगभग 800 समुद्री जीव माईक्रो प्लास्टिक से प्रभावित हैं।

एक अध्ययन के अनुसार विश्व में बिकने वाले लगभग 90 प्रतिशत समुद्री नमक माईक्रो प्लास्टिक से प्रभावित पाये गये हैं। इस अध्ययन में अमेरिका, चीन एवं भारत सहित 21 देशों के 39 ब्राण्ड शामिल किये गये थे। फ्रेडोनिया स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयार्क के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के 9 देशों में 19 स्थानों पर 259 पानी की बोतलों का अध्ययन किया गया जिसमें औसतन प्रतिलीटर 325 माईक्रो प्लास्टिक पाये गये हैं तथा बॉटल्ड वॉटर में 90 प्रतिशत ब्राण्ड माईक्रो प्लास्टिक से प्रभावित पाये गये हैं।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राथमिकता से कार्यवाही की गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक तथा अन्य ऐसे प्लास्टिक जिनका पुनर्चक्रण नहीं हो सकता है, को सीमेंट क्लिन में को–प्रोसेस करने हेतु वर्ष 2008–09 में परीक्षण किये गये एवं परीक्षण में सफलता प्राप्त होने पर लगातार उसको प्रदेश के सभी सीमेंट उद्योगों में कोयले के स्थान पर उपयोग किया जा रहा है। सड़क निर्माण में भी प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के नियंत्रण हेतु चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई है। मुझे विश्वास है कि इसके सफल रूप से लागू होने पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति होगी।

(मलय श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग एवं
अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध की चरणबद्ध कार्ययोजना

प्राक्कथन :

पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिए बहुत से कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें प्लास्टिक का उपयोग भी है। आज पूरे विश्व में प्लास्टिक का उपयोग इतना अधिक हो रहा है जिससे उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट से पूरी पृथ्वी के चार घेरे बनाये जा सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट के कारण उत्पन्न बीपीए (विषफिनॉल ए) विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्याधिक हानिकारक है। पानी के लिए प्लास्टिक बॉटल का उपयोग, सामान रखने, लाने या ले जाने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग, खाने के लिए उपयोग होने वाले प्लास्टिक कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, फोर्क आदि के माध्यम से प्लास्टिक के हानिकारक अवयव हमारी भोजन श्रृंखला में सम्मिलित हो रहे हैं। बढ़ती हुई प्लास्टिक अपशिष्टों की मात्रा को देखते हुए इसका पर्यावरणीय प्रबंधन एक गंभीर चुनौती के रूप में विद्यमान है।

मध्यप्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में देश का अग्रणी राज्य रहा है। राज्य शासन द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में पहला कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 पारित किया गया। उक्त अधिनियम के माध्यम से प्रदेश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रावधान किये गए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के पश्चात् उत्पन्न होने वाले अनुपयोगी प्लास्टिक कचरे का सीमेंट क्लिन में उपयोग करने के लिये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2008-09 में परीक्षण कराया गया था जिसकी सफलता के बाद प्रदेश की सीमेंट इकाईयों में प्लास्टिक कचरे का सह-दहन प्रारंभ किया गया। वर्तमान में प्रदेश के सभी सीमेंट उद्योगों द्वारा कोयले के साथ प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर कोयले की बचत की जा रही है। प्रदेश की ग्रामीण सड़कों में बिटूमिन के साथ प्लास्टिक कचरे का वर्ष 2014-15 से उपयोग प्रारंभ किया गया था। सड़क निर्माण में 3.75 मीटर चौड़ी सड़क में 4.5 मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर तथा 3.0 मीटर चौड़ी सड़क में 3.5 मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जाता है।

प्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 में संशोधन कर अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2/2015/18-5 भोपाल, दिनांक 24 मई, 2017 द्वारा लोकहित में सम्पूर्ण प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर दिनांक 24/05/2017 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को वर्ष 2022 तक फेस आउट करने हेतु लिये गये संकल्प के परिप्रेक्ष्य में म.प्र.शासन द्वारा सभी शासकीय कार्यालयों में आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान दिनांक 04 जून 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।

सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध की चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार करने में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधीक्षण यंत्री डॉ. एम.एल. पटेल की सक्रिय भूमिका प्रशंसनीय है। प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने हेतु राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों का सक्रिय योगदान आवश्यक है ताकि हम अपने निर्धारित लक्ष्य की निर्बाध पूर्ति कर सकें।

(आर.एस. कोरी)
सदस्य सचिव

मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध की चरणबद्ध कार्ययोजना

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	प्रस्तावना	1
2	मध्यप्रदेश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	1
2.1	सीमेंट क्लिन में प्लास्टिक अपशिष्ट को-प्रोसेसिंग	2
2.2	सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग	3
2.3	प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण	3
3	सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका	4
3.1	अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था में सुधार	4
3.2	सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने हेतु विधिक विकल्प	4
3.3	ईको-फ्रेंडली विकल्प को प्रोत्साहन	5
3.4	सामाजिक जन-जागृति एवं जन प्रशिक्षण	5
3.5	सरकारी कार्यालयों द्वारा कार्यवाही	5
3.6	विस्तारित उत्पादक दायित्व (एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिल्टी)	6
4	सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	6
5	सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने हेतु प्रस्ताव	7
6	सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प	12
7	संलग्नक	
7.1	मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004	17
7.2	मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) नियम, 2006	25
7.3	मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2017	31
7.4	अधिसूचना दिनांक 24/05/2017	33
7.5	राज्य शासन का आदेश दिनांक 04/06/2019	34

1. प्रस्तावना :

प्लास्टिक एक नॉन–बॉयोडिग्रेडेबल पदार्थ है जो बैक्टीरिया के द्वारा सामान्य रूप में नष्ट नहीं होता है। वजन में हल्का एवं किसी भी आकार में मोल्ड होने लायक होने से भौतिक प्रगति में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्लास्टिक की एक छोटी सी पॉलीथीन को भी पूरी तरह से नष्ट होने में हजारों साल का समय लग जाता है। जब प्लास्टिक को कचरे के तौर पर फैंका जाता है तो यह अन्य चीजों के साथ खुद व खुद नष्ट नहीं होता है यह जल एवं जमीन दोनों को प्रदूषित करता है।

प्लास्टिक बैग्स एवं प्लास्टिक की अन्य वस्तुएँ बनाने में उपयोग होने वाले केमिकल काफी जहरीले होते हैं, इनमें जायलेन, एथलीन आक्साईड और बैनजीन जैसे खतरनाक रसायन विद्यमान होते हैं। ये रसायन इन्सान, जानवर, पौधों और अन्य सभी जीवन के लिए हानिकारक हैं। प्लास्टिक को उपयोग करने, जलाने व पर्यावरण में फैंके जाने से भी जहरीले रसायनों का उत्सर्जन होता है। प्लास्टिक जब 5 मि.मी. से कम आकार में टूट जाता है तब उसे माईक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार आज लगभग 800 समुद्री जीव माईक्रो प्लास्टिक से प्रभावित हुए हैं।

प्लास्टिक जो हमारे भौतिक सुख साधनों का एक अभिन्न अंग बन गया है तथा जिस प्लास्टिक को हमने बड़ी शान से अपनी दिनचर्या में शामिल किया है वही अब भोजन श्रृंखला के माध्यम से हमारे शरीर की नसों में धीमे जहर के रूप में प्रवेश कर रहा है। जिस पानी को हम पीते है उसमें प्लास्टिक के सूक्ष्म कण मिलने लगे हैं, जिससे यह प्लास्टिक हमारी पीढ़ियों के लिये घातक सिद्ध होने वाला है। हमारी लापरवाही का ही यह नतीजा है कि प्लास्टिक कचरे के कारण 2050 तक मछलियों से अधिक समुद्र में प्लास्टिक कचरे की मात्रा दिखाई देगी। एक अध्ययन के अनुसार विश्व में बिकने वाले लगभग 90 प्रतिशत समुद्री नमक माईक्रो प्लास्टिक से प्रभावित पाये गये हैं। इस अध्ययन में अमेरिका, चीन एवं भारत सहित 21 देशों के 39 ब्राण्ड शामिल किये गये थे। फ्रेडोनिया स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयार्क के वैज्ञानिकों ने विश्व के 9 देशों में 19 स्थानों पर 259 पानी की बोतलों का अध्ययन किया गया जिसमें औसतन प्रतिलीटर 325 माईक्रो प्लास्टिक पाये गये हैं तथा बॉटल्ड वॉटर में 90 प्रतिशत ब्राण्ड माईक्रो प्लास्टिक से प्रभावित पाये गये हैं।

2. मध्य प्रदेश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:

मध्य प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में देश का अग्रणी राज्य रहा है। राज्य शासन द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में पहला कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 व मध्य प्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) नियम, 2006 पारित किये गए हैं। उक्त अधिनियम के माध्यम से प्रदेश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रावधान किये गए हैं।

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा मध्य प्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 में संशोधन हेतु 22 मई, 2017 को संशोधन अध्यादेश 2017 लाया गया है। उपरोक्त अध्यादेश के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–2/2015/18–5 भोपाल, दिनांक 24 मई, 2017 के माध्यम से मध्य प्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2004 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोकहित में सम्पूर्ण मध्य प्रदेश

में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर दिनांक 24/05/2017 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।

2.1 सीमेंट क्लिन में प्लास्टिक अपशिष्ट को-प्रोसेसिंग

प्लास्टिक अपशिष्ट एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसमें कोयले की अपेक्षा अधिक केलोरीफिक बेल्यु होती है तथा 850 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने से किसी भी तरह की हानिकारण गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2008-09 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्लास्टिक वेस्ट उत्पादन हेतु अध्ययन कराया गया था जिसके अनुसार प्रदेश की नगरीय निकायों से नगरीय ठोस अपशिष्ट का 2.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक, औसतन 4.5 प्रतिशत प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न होने का आंकलन किया गया है। आंकलन के अनुसार वर्तमान में प्रदेश की 378 नगरीय निकायों से लगभग 300 मीट्रिक टन/दिन प्लास्टिक वेस्ट निकलता है जिसमें से 75 प्रतिशत रिसाईक्लेबिल व 25 प्रतिशत नॉन-रिसाईक्लेबिल होता है।

प्रदेश में नॉन रिसाईक्लेविल प्लास्टिक वेस्ट को सीमेंट क्लिन में सह-दहन करने हेतु वर्ष 2008-09 में मेसर्स ए.सी.सी. सीमेंट की क्लिन में परीक्षण किया गया था। परीक्षण के दौरान प्लास्टिक वेस्ट सह-दहन से क्लिंकर क्वालिटी या पर्यावरण पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पाये जाने पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति उपरांत प्रदेश के सीमेंट उद्योगों में प्लास्टिक वेस्ट जलाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्लास्टिक कचरा एकत्रित करने हेतु सामुदायिक विकास एवं जनकल्याण संस्था, सार्थक, भोपाल तथा नगर पालिक निगम भोपाल के समन्वय से एक कार्ययोजना तैयार की गई जिसमें स्थानीय रैगपिकर्स को शामिल करते हुए एक मॉडल विकसित किया गया। प्लास्टिक कचरा संग्रहण के इस मॉडल को भोपाल मॉडल के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त मॉडल के माध्यम से एकत्रित प्लास्टिक कचरे को प्रदेश के सीमेंट उद्योगों में भेजा जाता है, सीमेंट उद्योगों द्वारा उपरोक्त कचरे की निर्धारित कीमत भी अदा की जाती है।

वर्तमान में प्रदेश के सभी 13 सीमेंट उद्योगों द्वारा क्लिन में प्लास्टिक कचरे के सह-दहन हेतु बोर्ड से सम्मति प्राप्त कर ली गई है, जिसके अनुसार प्रदेश में प्लास्टिक सह-दहन हेतु कुल 1,13,610 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता उपलब्ध है। सीमेंट उद्योगों द्वारा वर्ष 2008-09 से वर्तमान तक लगभग 65,945 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का सहदहन किया जा चुका है, विवरण निम्नानुसार है :

(मात्रा मीट्रिक टन में)

S. No.	Industry	Total up to 2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Total
1	ACC Ltd, Kaymore, Katni	2,855	6,291	15,487	6,887	12424	43,944
2	Vikram cement, Khore, Neemuch	4,229	250	90	1,086	3108	8,763
3	Maihar cement, Maihar, Satna	717	119	80	35	112	1,063

(मात्रा मीट्रिक टन में)

S. No.	Industry	Total up to 2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Total
4	J P Rewa Cememt	297	227	149	24	185	882
5	Birla Corporation, Satna	4,657	1,259	966	983	1300	9,166
6	KJS Cement, Maihar, Satna	0	0	13	0	52	65
7	Prism Jhonson cement, Manakhari, Satna	229	17	4	0	40	290
8	Diamond cement, Narsingarh, Damoh	294	51	198	45	103	691
9	Bela Cement Works, Rewa	41	17	6	0	19	83
10	Sidhi Cement Works, Sidhi	0	20	0	0	25	45
11	Bhilai Jaypee Cement, Satna	0	0	0	39	91	130
12	Reliance cement, Maihar Distt Satna	0	0	0	0	76	76
13	Ultratech Cement, Dhar	0	0	0	0	748	748
	Total	**13,319**	**8,250**	**16,994**	**9,098**	**18,283**	**65,945**

2.2 सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग :

प्रदेश की ग्रामीण सड़कों में बिटूमिन के साथ प्लास्टिक कचरे का वर्ष 2014-15 से उपयोग प्रारंभ किया गया था। सड़क निर्माण में 3.75 मीटर चौड़ी सड़क में 4.5 मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर तथा 3.0 मीटर चौड़ी सड़क में 3.5 मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदेश में 1222.5 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण हेतु किया गया है।

2.3 प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण :

उपयोगी प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने हेतु लघु श्रेणी के अन्तर्गत प्लास्टिक पुनर्चक्रित इकाईयों को प्रोत्साहित किया गया है। प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत वर्तमान तक 63 प्लास्टिक पुनर्चक्रण इकाईयाँ पंजीकृत हो चुकी हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 179195 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। उपरोक्त उद्योगों द्वारा पूर्ण क्षमता से उत्पादन करने पर लगभग 197500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष प्लास्टिक कचरे का

उपयोग सुनिश्चित कर निस्तारण किया जा सकता है। उद्योगों द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान 52560 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया गया है।

3. सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21/01/2019 के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने हेतु मार्गदर्शिका प्राप्त हुई है जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 2018 के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने का संकल्प उद्घोषित किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक सामान्यत: डिस्पोजेबिल प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग, प्लास्टिक कैरी बैग, फुड पैकेजिंग, बॉटल्स, स्ट्रॉ, कंटेनर्स, कप, प्लेट एवं कटलरी आईटम्स सम्मिलित हैं। उपरोक्त सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के संबंध में निम्नानुसार कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है :-

3.1 अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था में सुधार :

यह महसूस किया गया है कि अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था में सुधार करने से प्लास्टिक अपशिष्ट से उत्पन्न समस्या का निराकरण किया जा सकता है। उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नानुसार कदम प्रस्तावित किये गये हैं :-

3.1.1 राज्य सरकारों को अपशिष्ट प्रबंधन को सक्षम बनाने के लिए उसके पृथक्करण, संग्रहण तथा परिवहन की व्यवस्था पर अधिकतम व्यय सुनिश्चित करना होगा।

3.1.2 हाउसिंग एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मेन्युअल 2016 तैयार किया गया है। मेन्युअल में नगरीय निकायों के लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फेमवर्क दिया गया है। राज्यों द्वारा उपरोक्त मेन्युअल के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।

3.1.3 राज्य सरकारों एवं नगरीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा तथा संग्रहण एवं परिवहन के साथ-साथ स्त्रोत पर ही पृथक्करण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

3.1.4 राज्य सरकारों को प्लास्टिक के विकल्प के रूप में आने वाले उत्पादों को प्रोत्साहित करना होगा।

3.2 चरणबद्ध तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने हेतु विधिक विकल्प :

राज्य सरकारों को सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए उनकी स्पष्ट सूची के साथ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने होंगे। इनकी सूची में (अ) हर तरह के प्लास्टिक कैरी बैग (हैंडिल सहित या

हैंडिल रहित), (ब) प्लास्टिक कप/गिलास, स्ट्रॉ आदि, (स) थर्मोकोल से बने हुए कटलरी एवं साज-सज्जा की वस्तुएँ शामिल की जा सकती हैं।

3.3 ईको फ्रेंडली विकल्प को प्रोत्साहन :

राज्य सरकारे सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर ईको फ्रेंडली विकल्प को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। लघु व अतिलघु श्रेणी के अन्तर्गत ऐसी योजनाएँ जो प्लास्टिक रिसाईक्लिंग को प्रोत्साहन देते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिये।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सेन्ट्रल सेक्टर के अन्तर्गत ''क्रियेशन ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर फॉर हैजाड्र्स सबस्टेंसिस'' के तहत् अभिनव तकनीक तथा आदर्श उपचार व्यवस्था हेतु वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया गया है।

3.4 सामाजिक जन-जागृति एवं जन प्रशिक्षण :

3.4.1 राज्य सरकारों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करने के संबंध में सामाजिक जन-जागृति एवं जन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जायें।

3.4.2 सरकार द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को सिंगल यूज प्लास्टिक रहित बनाया जाये।

3.4.3 सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार का संदेश देने हेतु ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्य का ब्राण्ड ऐम्बेस्डर बनाकर अभियान संचालित किए जाये।

3.4.4 पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, समुद्री बीच, स्कूल एवं कॉलेजों को महत्वपूर्ण स्थान चिन्हित करते हुए जागृति अभियान संचालित किए जाये।

3.4.5 समाज में व्यवहारिक बदलाव लाने के लिए विद्यार्थी एवं युवा लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाये। स्कूलों की विषयवस्तु में भी सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार एवं वैकल्पिक वस्तुओं का प्रोत्साहन सम्मिलित किया जा सकता है।

3.5 सरकारी कार्यालयों द्वारा कार्यवाही :

राज्य सरकार एवं सरकारी कर्मचारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जा सकती है :-

3.5.1 सभी सरकारी कार्यालयों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित किया जा सकता है, जिसमें (1) सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग, (2) खाद्य एवं पेय पदार्थो में उपयोग होने वाले प्लास्टिक/थर्मोकोल से निर्मित डिस्पोजेबिल आईटम जैसे - कप/गिलास, बाउल, फोर्क, चम्मच, कंटेनर, स्ट्रॉ आदि को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

3.5.2 राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में (1) बनावटी फूल, प्लास्टिक बैनर, प्लास्टिक झंडे, फूलदान, (2) पीईटी वॉटर बॉटल, (3) प्लास्टिक फोल्डर्स, ट्रे आदि और (4) ऐसे प्लास्टिक

आईटम्स जिनका विकल्प उपलब्ध है को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

3.5.3 राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण को प्रोत्साहित किया जाये।

3.5.4 राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से हटाने की व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिये।

3.5.5 निजी उपक्रमों में भी स्वत: सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करने के प्रयास करना चाहिये।

3.6 विस्तारित उत्पादक दायित्व (एक्सटेंडिड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसबिलिटी):

3.6.1 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के रूल-9 के अन्तर्गत किये गये एक्सटेंडिड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसबिलिटी को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

3.6.2 पीईटी/पीईटीई बॉटल के साथ-साथ पेय पदार्थो की पैकिंग में होने वाले कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाईक्लिंग के दायरे में मानते हुए उन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

3.6.3 ऐसी मल्टीलेयर पैकेजिंग जिनका विकल्प वर्तमान में उपलब्ध नहीं है तथा जो किसी न किसी रूप में रिसाईकल की जा सकती है अथवा उनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिये।

4. सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही:

4.1 म.प्र.शासन द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों को आदेश क्रमांक एफ 11-13/2019/1/9 दिनांक 04/06/2019 के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। कार्यालयों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान डिस्पोजेबिल प्लास्टिक वस्तुएँ, प्लास्टिक कैरी बैग, फुड पैकेजिंग, प्लास्टिक लावर, पॉट, बैनर, झंडे, पैट बॉटल्स, कटलरी प्लेट्स, कप, गिलास, स्ट्रॉ, फोर्क, स्पून्स, पाउच/ शेसे आदि तथा थर्मोकोल से निर्मित सजावट एवं अन्य सामान का उपयोग दिनांक 04 जून 2019 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

4.2 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के दायरे में आने वाले एवं उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत सम्मति प्राप्त करने वाले सभी होटल्स तथा मैरिज गार्डन्स में डिस्पोजेबिल प्लास्टिक वस्तुएँ, प्लास्टिक कैरी बैग, फुड पैकेजिंग, प्लास्टिक लावर, पॉट, बैनर, झंडे, पैट बॉटल्स, कटलरी प्लेट्स, कप, गिलास, स्ट्रॉ, फोर्क, स्पून्स, पाउच/ शेसे आदि तथा थर्मोकोल से निर्मित सजावट एवं अन्य सामान का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।

4.3 प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने हेतु जन-जागृति के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

5 सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने हेतु प्रस्ताव :

प्रतिबंध : पेयजल की पीईटी/पीईटीई से निर्मित 200 मि.ली. या उससे कम मात्रा वाली बॉटल एवं सभी तरह के पाउच।

स्वीकार्य : पेयजल की पीईटी/पीईटीई से निर्मित 200 मि.ली. से अधिक मात्रा वाली बॉटल।

प्रतिबंध : हैंडिल सहित व हैंडिल रहित प्लास्टिक/नॉन बोवन प्लास्टिक शापिंग बैग।

स्वीकार्य : सभी तरह के कम्पोस्टेबिल प्लास्टिक शापिंग बैग, 50 माईक्रोन मोटाई से अधिक के बायो-डिग्रेडेबिल प्लास्टिक से निर्मित बैग, प्लांट नर्सरी में उपयोग, हैजार्डस तथा सॉलिड वेस्ट हैण्डलिंग हेतु निर्मित 50 माईक्रोन मोटाई से अधिक के रिसाईकिल्ड प्लास्टिक से निर्मित बैग तथा स्पेशल इकॉनामिक जोन में निर्यात हेतु निर्मित सभी तरह के प्लास्टिक व प्लास्टिक बैग ।

स्वीकार्य :

प्रतिबंध : थर्मोकोल/प्लास्टिक से बने डिस्पोजेबिल कटलरी आईटम्स जैसे – प्लेट, कप, गिलास, बाउल, फोर्क, स्ट्रॉ आदि तथा फुड पैकेजिंग कंटेनर।

स्वीकार्य : प्लास्टिक की गुणवत्ता तथा ईपीआर प्रावधानों सहित विवरण प्रिंट की हुई ग्रॉसरी तथा खा–द्यान हेतु 50 माईक्रोन से अधिक मोटाई की पैकिंग, सभी तरह के बोवनसेक्स।

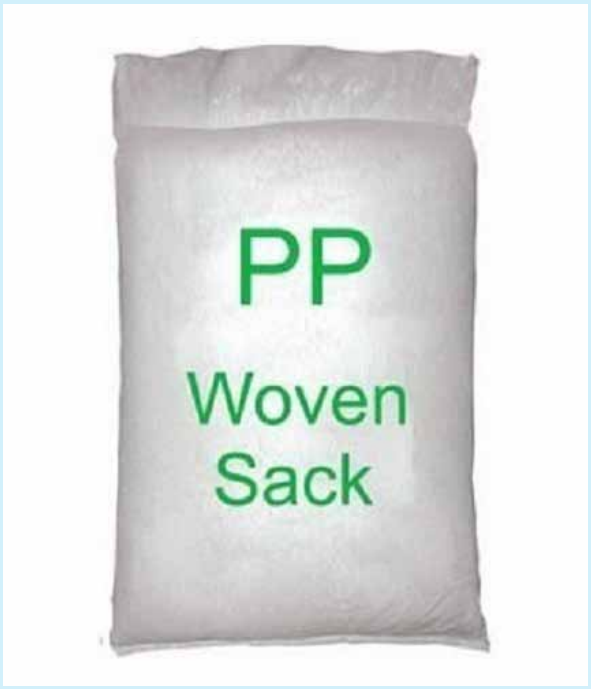

प्रतिबंध : प्लास्टिक व थर्मोकोल का साज–सज्जा हेतु उपयोग।

स्वीकार्य : प्लास्टिक की एक परत के साथ पेपर आधारित कार्टन, वर्जिन प्लास्टिक से निर्मित 50 माईक्रोन से अधिक मोटाई के तथा बाईबैक मूल्य प्रिंट के साथ दूध पैकेट, रिसाईक्लेबिल/ऊर्जा रिकव्हरेबिल मल्टीलेयर पैकेजिंग, घरेलू उपयोग के लिये प्लास्टिक कंटेनर, दवाओं में उपयोग होने वाली पैकेजिंग, रिसाईक्लेबिल प्लास्टिक स्टेशनरी, पैकेजिंग तथा मछली/सी–फूड संरक्षण में उपयोग होने वाले थर्मोकोल बाक्सेस।

6. सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प :

1. स्टील व सिरामिक से निर्मित क्राकरी (प्लेट, चम्मच, फोर्क, कप, गिलास, कंटेनर, बॉटल)

2. पेपर स्ट्रॉ, पेपर प्लेट, दोना–पत्तल, पत्तों से निर्मित बाउल, केले के तने तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउल।

3. मिट्टी के कुल्लढ़।

4. पेपर बैग, जूट तथा नारियल जूट एवं कपड़े के बैग।

5. पेपर के लिफाफे।

सभी चित्र गूगल पर उपलब्ध जानकारी से डाउनलोड किये गये हैं।

विधिक प्रावधान

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि.पू.भु.-04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 581] भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2004—पौष 8, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2004

क्र. 7287-394-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2004 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. पी. नेमा, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २००४.

मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, २००४.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

३. थैलियों के उपयोग का प्रतिषेध.

४. सार्वजनिक नालियों, मलनालियों आदि में जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा फेंकने का प्रतिषेध.

५. जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा जमा करने के लिये कूड़ादान रखना और स्थानों की व्यवस्था करना.

६. जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा आदि संगृहीत और जमा करने का स्वामियों तथा अधिभोगियों का कर्त्तव्य.

७. जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा हटाने की स्थानीय प्राधिकरण की शक्ति.

८. अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन में सहायता.

९. शास्तियां.

१०. कम्पनियों द्वारा अपराध.

११. सरकारी विभागों द्वारा अपराध.

१२. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण.

१३. अपराधों का संज्ञान.

१४. अपराधों का प्रशमन.

१५. मामलों का संक्षिप्त निपटारा.

१६. अधिकारियों में कतिपय शक्तियां विनिहित करने की राज्य सरकार की शक्ति.

१७. राज्य सरकार द्वारा निदेश.

१८. अनुसूची संशोधित करने की शक्ति.

१९. नियम बनाने की शक्ति.

२०. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

२१. अधिनियम का अन्य विधियों को अल्पीकरण न करना

अनुसूची.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २००४.

मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, २००४.

[दिनांक २४ दिसम्बर, २००४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक २९ दिसम्बर, २००४ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य में जैव अनाश्य उत्पादों के प्रबंध और उपयोग को विनियमित करने और सार्वजनिक नालियों, सड़कों और जनता को दृष्टिगोचर खुले स्थानों में या पर जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा फेंकने या जमा करने को निवारित करने और लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, २००४ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "जैव नाश्य कूड़ा-कचरा" से अभिप्रेत है जीवित जीवों की क्रिया द्वारा नाश्य किए जाने योग्य कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ (१९७४ का सं. ६) की धारा ४ के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ग) "स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्रेत है व्यक्तियों का कोई निकाय जिसे किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर मामलों का नियंत्रण और प्रशासन तत्समय विधि द्वारा विनिहित किया गया है और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(एक) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन या उसके द्वारा गठित कोई नगरपालिक निगम;

(दो) मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन या उसके द्वारा गठित कोई नगरपालिका परिषद् या कोई नगर पंचायत;

(तीन) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन गठित कोई ग्राम पंचायत;

(घ) "बाजार" के अन्तर्गत, इस बात के होते हुये भी कि क्रेताओं और विक्रेताओं के जमाव के लिये कोई सामान्य विनियम नहीं हैं और स्थान के स्वामी या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा बाजार के कारबार या बाजार में बार-बार आने वाले व्यक्तियों पर किस प्रकार का नियंत्रण रखा जाता है, या नहीं, कोई ऐसा स्थान है, जहां ऐसे स्थान के स्वामी की सम्मति सहित या रहित, व्यक्ति, मानव उपयोग अथवा उपभोग के लिये वस्तुओं के विक्रय के लिये रखने के लिये एकत्र होते हैं;

(ङ) "जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा" से अभिप्रेत है ऐसा कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री जो जैव नाश्य नहीं है और पोलीथाइलिन, नाइलान और प्लास्टिक की अन्य सामग्री के पदार्थ जैसे पॉली विनायल

क्लोराईड, पालीप्रोप्लीन, पालिस्टाइलिन और उसके ऐसे रूपभेद जो जीवित जीवों की क्रिया द्वारा नाश्य किए जाने योग्य नहीं हैं और जो इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्टत: सम्मिलित हैं;

(च) "अधिभोगी" के अन्तर्गत सम्मिलित हैं;—

(एक) कोई व्यक्ति, जो स्वामी को तत्समय उस भूमि या भवन के भाटक या भाटक का कोई भाग संदत्त कर रहा है या संदत्त करने का दायी है, जिसकी बाबत् ऐसा भाटक संदत्त किया जाता है या संदेय है;

(दो) वह स्वामी जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोग कर रहा है या अन्यथा उसका उपयोग करता है;

(तीन) किसी भूमि या भवन का भाटक मुक्त अभिधारी या अनुज्ञप्तिधारी; और

(चार) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के उपयोग और अधिभोग के लिये उसके स्वामी को नुकसानी या क्षतिपूर्ति संदत्त करने का दायी है;

(छ) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय किसी भूमि या भवन का भाटक चाहे अपने वास्ते या अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की प्रसुविधा के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिये न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है या जो, यदि भूमि या भवन या उसका भाग किसी अभिधारी को किराये पर दे दिया होता, तो उसका भाटक प्राप्त करता या भाटक प्राप्त करने के लिये हकदार होता और उसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है जो अभिधारी न हो, और जो समय-समय पर स्वामी के रूप में हक व्युत्पन्न करता हो;

(ज) "स्थान" से कोई भूमि या भवन अथवा भवन का भाग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हैं किसी भवन या स्थान के भाग से अनुलग्न उद्यान, जमीन और उपगृह यदि कोई हो, तथा इसके प्रकोष्ठ और सामान्य क्षेत्र और किसी भवन में उपलब्ध कराई गई प्रसुविधाएं भी सम्मिलित हैं;

(झ) "जनता को दृष्टिगोचर खुले स्थान" के अन्तर्गत कोई प्राइवेट स्थान या भवन, स्मारक, बाड़ या छज्जा है, जो किसी सार्वजनिक स्थान में या उससे होकर गुजरने वाले किसी व्यक्ति को दिखाई देता हो;

(ञ) "लोक विश्लेषक" से अभिप्रेत है बोर्ड द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी पर्यावर्णिक प्रयोगशाला के संबंध में सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त या मान्यता प्राप्त व्यक्ति;

(ट) "सार्वजकि स्थान" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई स्थान जो सर्व-साधारण के उपयोग और उपभोग के लिये खुला है चाहे उसका सर्वसाधारण द्वारा वास्तव में उपयोग या उपभोग किया जाता है या नहीं और इसके अन्तर्गत सड़क, मार्ग, बाजार, उद्यान, सफाई-गली या रास्ता है, चाहे वह आम रास्ता है या नहीं और उतरने का स्थान जहां सर्वसाधारण की पहुंच है या आने-जाने का अधिकार है अथवा जिस पर उन्हें जाने का अधिकार है.

थैलियों के उपयोग का प्रतिषेध.

३. कोई भी व्यक्ति मानव उपयोग या उपभोग के लिए वस्तुओं के भण्डारण, वहन, पेकिंग, और विक्रय के लिये प्लास्टिक से बनी थैलियों या पात्रों का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि पुन: चक्रित प्लास्टिक से बनी थैलियों की मोटाई २५ माइक्रोन से कम न हो और विरजिन प्लास्टिक की दशा में २० माइक्रोन से कम न हो.

सार्वजनिक नालियों, मलनालियों आदि में जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा फेंकने का प्रतिषेध.

४. कोई भी व्यक्ति, स्वयं या अन्य के माध्यम से जानबूझकर या अन्यथा किसी प्राइवेट या सार्वजनिक जल निकास संकर्मों से संबंधित किसी नाली, संवातन, नाल, पाइप और फिटिंग में किसी नदी, जलसरणी (चाहे प्रवाहित हो या तत्समय सूखी हो) उद्यान या किसी सार्वजनिक स्थान या जनता को दृष्टिगोचर खुले किसी स्थान में कोई जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा या जैव अनाश्य थैले या पात्र में कोई जैव नाश्य कूड़ा-कचरा नहीं फेंकेगा या फिकवाएगा :

परन्तु कोई जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा या कोई जैव नाश्य कूड़ा-कचरा, किसी जैव अनाश्य थैले या किसी पात्र में रखा जा सकेगा या कूड़ा दान में रखने के लिये अनुज्ञप्त किया जा सकेगा और किसी क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कूड़े-कचरे के व्ययन के लिये अभिहित स्थान में जमा किया जा सकेगा.

जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा जमा करने के लिये कूड़ादान रखने और स्थानों की व्यवस्था करना.

५. स्थानीय प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह--

(क) जैव अनाश्य कूड़े-कचरे को अस्थायी तौर पर जमा करने या उसका संग्रहण करने के लिये उचित और सुविधाजनक अवस्थिति में डलवाएं या उसके लिये पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक कूड़ेदान या संग्रह स्थानों (डिपो) या स्थानों की व्यवस्था करें, जो जैव नाश्य कूड़ा-कचरा जमा करने के लिये रखे और संधारित किए जा रहे स्थानों से भिन्न है;

(ख) कूड़ादानों, संग्रह स्थानों (डिपो) तथा कूड़ा स्थानों की अंतर्वस्तु को हटाने की व्यवस्था करे और इस धारा के खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा उपलब्ध या नियत किए गए समस्त स्थानों पर उसका संचयन करने की व्यवस्था करे; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन संगृहीत जैव अनाश्य कूड़े--कचरे के व्ययन के लिये ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, व्यवस्था करे.

जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा आदि संगृहीत और जमा करने का स्वामियों तथा अधिभोगियों का कर्तव्य.

६. समस्त भूमि और भवनों के अधिभोगियों (जिसमें किसी भवन के प्रकोष्ठ का व्यक्तिगत अधिभोग सम्मिलित है) का यह कर्तव्य होगा कि—

(एक) वे अपनी-अपनी भूमि और भवनों से समस्त जैव अनाश्य कूड़े-कचरे को संगृहीत करें या करवाएं और उसे सार्वजनिक कूड़ादानों, संग्रह स्थानों (डिपो) या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा क्षेत्र में जैव अनाश्य कूड़े-कचरे को अस्थायी रूप में जमा करने या संगृहीत करने के लिए उपलब्ध कराये गए स्थानों में जमा करें या जमा कराएं;

(दो) वे जैव नाश्य कूड़े-कचरे को जमा करने के लिए रखी गई और अनुरक्षित से भिन्न ऐसी भूमि या भवन से समस्त जैव अनाश्य कूड़े-कचरे का उसमें संग्रहण करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण या उसके अधिकारियों द्वारा विहित प्रकार से और विहित रीति में पृथक् कूड़ादानों या कचरा पेटियों की व्यवस्था करें और ऐसे कूड़ेदानों या कचरा पेटियों को अच्छी दशा और अवस्था में रखें.

जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा हटाने की स्थानीय प्राधिकरण की शक्ति.

७. स्थानीय प्राधिकरण, लिखित में सूचना द्वारा, किसी ऐसी भूमि या भवन के जो जैव अनाश्य कूड़े-कचरे का अनाधिकृत ढेर लगाने या जमा करने का स्थान बन गया है, और जिसके न्यूसेन्स का कारण बनने की संभावना है, स्वामी या अधिभोगी अथवा सह-स्वामी से अथवा उसका स्वामी या सह-स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति से, इस प्रकार ढेर लगाए गए या संगृहीत उक्त कूड़े-कचरे को हटाने या हटवाने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि, उसकी राय में, जैव अनाश्य कूड़े-कचरे के अपशिष्ट के ऐसे ढेर या संग्रहण से जलनिकास और मल वहन प्रणाली को क्षति होने की संभावना है या उसके जीवन तथा स्वास्थ्य के लिये खतरनाक होने की संभावना है, तो वह तुरन्त ऐसे व्यक्ति के खर्चे पर ऐसे कदम उठाएगा जो वह आवश्यक समझे.

अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में सहायता.

८. (१) किसी ऐसे स्थान का स्वामी और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो वहां पाया जाए, जिसके संबंध में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सशक्त कोई व्यक्ति, अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों को कार्यान्वित कर रहा है, उस ऐसे व्यक्ति को शक्तियों के प्रयोग तथा उन कर्तव्यों को कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए समस्त युक्तियुक्त सहायता देगा और ऐसे व्यक्ति अपेक्षित समस्त सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे.

(२) पुलिस के समस्त अधिकारी जब स्थानीय प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षा की जाए, इस अधिनियम के उपबंधों के अतिक्रमण को रोकने में सहायता देंगे.

(३) स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों के निर्वहन में असफल होने पर जुर्माने से, दण्डनीय होगा, जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा.

शास्तियाँ.

९. (१) जो कोई इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गए किसी नियम, जारी की गई अधिसूचना या दिए गए आदेश के उल्लंघन में किसी कार्य या साशय लोप का दोषी है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा.

(२) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी और / या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

(३) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी रीति में अपराध करने में सहायता करता है, दुष्प्रेरण करता है या सहायक है तो वह उस अपराध के लिये विहित शास्ति से दण्डनीय होगा.

(४) जो कोई जानबूझकर, इस अधिनियम के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा विधिपूर्वक दिये गये किसी निदेश की अवज्ञा करता है या किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को किसी कृत्य के निर्वहन में जिसके लिये ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित या सशक्त हो, बाधा पहुंचाता है, और यदि ऐसे अपराध के लिये कोई अन्य शास्ति उपबंधित न हो तो ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक को हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

(५) जब कोई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी जानकारी को प्रदाय करने के लिये अपेक्षित हो, ऐसी जानकारी को विधारित करता है या ऐसी जानकारी देता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, और यदि ऐसे अपराध के लिये कोई अन्य शास्ति उपबंधित न हो तो ऐसे जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

कम्पनियों द्वारा अपराध.

१०. (१) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिये उस कम्पनी का भारसाधक था, और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किए जाने के दायी होंगे :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिये समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी.

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव, या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या यह कि उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का दायी होगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये,—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों की अन्य संथा आती है; और

(ख) किसी कम्पनी के संबंध में "निदेशक" में सम्मिलित है कोई व्यक्ति जो निदेशक के पद का अधिभोग कर रहा हो, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए.

सरकारी विभागों द्वारा अपराध.

११. (१) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा कारित किया गया है वहां कार्यालय प्रमुख अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का दायी होगा :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे कार्यालय प्रमुख को किसी दण्ड का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिये समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी.

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अपराध इस अधिनियम के अधीन सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कार्यालय प्रमुख से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से या उसकी ओर से घोर उपेक्षा के कारण किया गया है तो ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किये जाने का दायी होगा.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण.

१२. राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या बोर्ड या स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या ऐसे प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी की किसी भी ऐसी बात के लिये जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किये गए आदेशों या निदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका इस प्रकार किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

अपराधों का संज्ञान.

१३. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी जिसमें स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारी सम्मिलित हैं द्वारा की गई किसी शिकायत से सिवाय नहीं करेगा.

अपराधों का प्रशमन.

१४. (१) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध या तो अभियोजन के संस्थित होने के पूर्व या पश्चात् ऐसी रकम के संदाय पर ऐसे अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकेगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे.

(२) जहां कोई अपराध उपधारा (१) के अधीन प्रशमित किया गया है, यदि अपराधी अभिरक्षा में हो तो, उसे उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी.

मामलों का संक्षिप्त विपटारा.

१५. (१) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेने वाला न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को तामील किए जाने वाले समन पर यह कथन करेगा कि वह—

(क) अभिवक्ता द्वारा या स्वयं उपसंजात हो; या

(ख) विनिर्दिष्ट तारीख को आरोप की सुनवाई के पूर्व आरोप का दोषी होने का अभिवचन करें और न्यायालय को मनीआर्डर द्वारा ऐसी राशि (जो ऐसे अधिकतम जुर्माने से अधिक नहीं होगी जो कि अपराध के लिये अधिरोपित की जाए) जैसी न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, विप्रेषित करे तथा मनीआर्डर कूपन में ही दोषी होने का अभिवचन उपदर्शित करे.

(२) जहां कोई अभियुक्त व्यक्ति दोषी होने का अभिवचन करता है और विनिर्दिष्ट राशि विप्रेषित कर देता है, तो उसके विरुद्ध उस अपराध की बाबत् और कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी, न ही वह उसके द्वारा दोषी होने का अभिवचन करने के कारण किसी अन्य का दायी होगा.

अधिकारियों में कतिपय शक्तियां विनिहित करने की राज्य सरकार की शक्ति.

१६. राज्य सरकार अपने किसी अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी में निम्नलिखित शक्तियों में से समस्त या किन्हीं शक्तियों को विनिहित कर सकेगी—

(क) किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने की शक्ति;

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की जांच करने और ऐसी जांच के अनुक्रम में साक्ष्य प्राप्त करने और साक्ष्य अभिलिखित करने की शक्ति.

राज्य सरकार द्वारा निदेश.

१७. स्थानीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिये ऐसे निदेश का, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उसे जारी किए जाएं, क्रियान्वयन करेगा.

अनुसूची संशोधित करने की शक्ति.

१८. (१) जब ऐसा करना समीचीन हो, राज्य सरकार, लोकहित में और बोर्ड के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी मद को जोड़ सकेगी या उसमें से हटा सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

नियम बनाने की शक्ति.

१९. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखें जाएंगे.

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

२०. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

अधिनियम का अन्य विधियों को अल्पीकरण न करना.

२१. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनके अल्पीकरण में नहीं होंगे.

अनुसूची

[धारा २(ङ) देखिए]

जैव अनाश्य स्वरूप के पदार्थ.

१. पोलीईथीलिन.
२. पोलीकार्बोनेट.
३. पोलीप्रोपलिन (पी.पी.).
४. पोलिस्टीन.
५. पोलिविनाइल क्लोराइड (पी.व्ही.सी.).
६. ए.बी.एस.
७. एसीटाल.
८. एक्रिलिक.
९. सेल्युलोज एसीटेट.
१०. सेल्युलोज एक्यूट ब्यूट्रेट.
११. नाइलोन.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2004

क्र. 7288-394-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. पी. नेमा, अतिरिक्त सचिव.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय को पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-118-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 405] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2007—श्रावण 19, शक 1929

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2007

क्र. एफ. 5-3-99-बत्तीस.—मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 10 अगस्त 2007 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2007

क्र. एफ. 5-3-99-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (ख) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5-3-99-बत्तीस, दिनांक 10 अगस्त 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal the 10th August 2007

No. F-5-3-99-XXXII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Jaiv Anaashya Apashistha (Niyantran) Adhiniyam, 2004 (No. 20 of 2004), the State Government hereby appoints 10th August 2007 as the date on which the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

निर्देशक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनभुत.

पंजी, क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 420] भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 अगस्त 2007—भाद्र 3, शक 1929

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2007

क्र. एफ. 5-3-99-बत्तीस.—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) नियम, 2006 है.

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004);

(ख) "कचरा पेटी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा (2) के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित डब्बा/डब्बे, जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, जैव नाश्य कूड़ा-कचरा अथवा जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा संग्रहीत करने के लिये, उपलब्ध कराए गये हैं;

(ग) "जैव अनाश्य सामग्री" से अभिप्रेत है ऐसी सामग्री जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है;

(घ) "सार्वजनिक कूड़ादान या डिपो" से अभिप्रेत है कूड़ा-कचरा का संग्रहण तथा पृथक्करण, सफाई, झाड़ू-बुहारू तथा उसके व्ययन का स्थान.

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जिनका इन नियमों में प्रयोग किया गया है किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है.

3. **कूड़ा-कचरा प्रबंधन परिक्षेत्र (जोन).**— (1) स्थानीय प्राधिकारी उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र को कूड़ा-कचरा अपशिष्ट संग्रहण तथा कचरा प्रबंधन परिक्षेत्र में विभाजित करेगा.

(2) उपनियम (1) के अधीन स्थापित प्रत्येक कूड़ा-कचरा प्रबंधन परिक्षेत्र (जोन) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के प्रभार के अधीन होगा.

4. **कूड़ा-कचरा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन.**—(1) नियम 3 के अधीन स्थापित किसी कूड़ा-कचरा प्रबंधन परिक्षेत्र (जोन) में कूड़ा-कचरे के कुशल संग्रहण और व्ययन के विषय में कूड़ा-कचरा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित से मिलकर एक सलाहकार समिति गठित की जाएगी,—(जिसमें होंगे),—

(क) संबंधित स्थानीय निकाय/ प्राधिकरण क्षेत्र का जनप्रतिनिधि;

(ख) स्थानीय निकाय/ प्राधिकरण द्वारा परिक्षेत्र के नामनिर्दिष्ट दो सम्मानीय व्यक्ति;

(ग) परिक्षेत्र का प्रभारी/ क्षेत्र का स्वच्छता निरीक्षक.

(2) कूड़ा-कचरा प्रबंधन सलाहकार समिति कूड़ा-कचरा प्रबंधन परिक्षेत्र में स्थानीय प्राधिकारी की सहायता करेगी तथा कूड़ा कचरा के कुशल संग्रहण तथा व्ययन के लिए साधनों का उपाय करेगी.

उपनियम (1) के अधीन गठित कूड़ा-कचरा प्रबंधन सलाहकार समिति का कार्य,—

(क) उन स्थानों का चयन करना या उन्हें चिन्हित करना जहां कूड़ा-कचरा प्रबंधन परिक्षेत्र में विभिन्न स्त्रोतों से निकलने वाला कूड़ा कचरा के लिए सार्वजनिक कूड़ादानों के स्थानों का चयन या चिन्हित करना जहां उसको स्थायी रूप से रखने के लिए;

(ख) ऐसे अन्तरालों को, जिनके भीतर उपरोक्त खण्ड (क) के अधीन अभिहित समस्त स्थानों पर जमा तथा संग्रहीत कूड़ादानों की अन्तर्वस्तु को हटाया/साफ किया जा सके, नियत करने के लिए;

(ग) सार्वजनिक कूड़ादान/ कचरापेटियों में कूड़ा-कचरा अपशिष्ट जमा करते समय और डम्पिंग मैदान या उसके कुशल प्रबंधन के लिए नियत स्थानों तक हटाते समय सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए;

(घ) कूड़ा-कचरा/ अपशिष्ट विशिष्टतः जैव अनाश्य अपशिष्ट में कमी लाने, पुनः उपयोग तथा पुनःचक्रीकरण को सुनिश्चित करने हेतु चेतना लाने की व्यवस्था करने के लिए;

(ङ) क्षेत्र के निवासियों को घर में उत्पन्न अपशिष्ट को स्त्रोत पर ही पृथक्करण, उसके पुनः उपयोग तथा पुनःचक्रीकरण के लिए सामाजिक तथा आर्थिक साध्यता की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, तथा

(च) क्षेत्र में पारिस्थितिकी बनाए रखने तथा पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने के लिए उठाये जाने वाले कदम की खोज करने के लिए;

क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी को सहायता देना होगा.

5. **जैव नाश्य तथा जैव अनाश्य कूड़े-कचरे के लिए पृथक कूड़ादान संधारित करना.**—(क) स्थानी प्राधिकारी, ऊपर नियम 4 के अधीन गठित कूड़ा-कचरा प्रबंधन सलाहकार समिति के परामर्श से क्षेत्र में पैदा होने वाले जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा/

अपशिष्ट के अस्थायी संग्रहण या एकत्रीकरण के लिए लाल रंग के (जैव नाश्य कचरे के संग्रहण के लिए रखे जाने वालों से भिन्न) पृथक पात्र/ कूड़ेदानों को उचित तथा सुविधायुक्त स्थानों पर उपलब्ध कराएगा. ये कूड़ों तथा आवारा जानवरों की पहुंच/दृष्टि से बाहर हो:

परन्तु जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998 के अधीन यथा परिभाषित जीव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली किसी संस्था का अधिभोगी उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार जीव चिकित्सा अपशिष्ट को संग्रह करेगा, ग्रहण करेगा, अलग करेगा, उपचार करेगा, परिवहन करेगा तथा निराकरण करेगा और उक्त नियमों के अन्तर्गत न आने वाले अन्य जैव नाश्य/जैव अनाश्य कचरे के संग्रहण तथा जमा करने के लिए अपने परिसर में सुविधापूर्ण स्थान, पृथक पात्र/कूड़ादान उपलब्ध कराएगा.

(ख) उल्लिखित अपशिष्ट प्रतिदिन संग्रहित किया जाएगा तथा उसको डम्पिंग यार्ड/डिपो/व्ययन स्थल तक परिवहन किया जाएगा.

(ग) स्थानीय प्राधिकारी, इस नियम के अधीन कूड़ेदानों तथा संग्रह स्थानों के लिए स्थान उपलब्ध कराते समय, जिसे नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंध तथा हस्तन) नियम, 2000 के नियम 6 के उपनियम (1) तथा (3) के अधीन अनुसूची-2 तथा नियम 7 के उपनियम (1) के अनुसार तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए तकनीकी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्थानीय प्राधिकरण के भीतर घरेलू कचरा तथा जैव नाश्य अपशिष्ट के लिए उपलब्ध अपशिष्ट संग्रहण नेटवर्क के माध्यम से ऐसे कचरे के सुरक्षित व्ययन के लिए हर संभव सावधानी सुनिश्चित करेगा.

6. **अधिभोगियों द्वारा पृथक कूड़ेदानों/कचरा पेटियों के लिए उपबंध.**—(1) कोई भी व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से, जानबूझकर या अन्यथा :—

(क) कोई जैव अनाश्य कचरा उस प्रयोजन के लिए रखे कूड़ेदानों/कचरा पेटी से भिन्न स्थानों पर न तो फेंकेगा और न ही फेंकना कारित करेगा, और/या;

(ख) जीव चिकित्सा/क्लीनिकल अपशिष्ट को अन्य जैव अनाश्य अपशिष्ट/कचरे के साथ नहीं मिलाएगा;

(2) प्रत्येक भूमि तथा भवनों के अधिभोगी (किसी भवन के प्रकोष्ठों के व्यष्टिक अधिभोगी को सम्मिलित करते हुए) पृथक कूड़ेदान तथा कचरा पेटियां उपलब्ध कराएगा. कूड़ेदान तथा कचरा पेटियों को रंगों में पेंट किया जाएगा और उस पर हिन्दी या स्थानीय भाषा में निम्नानुसार अन्तर्लिखित किया जाएगा—

(एक) जैव नाश्य में नीले रंग से अन्तर्लिखित होगा "केवल जैव नाश्य अपशिष्ट".

(दो) जैव अनाश्य में लाल रंग से अन्तर्लिखित होगा "केवल जैव अनाश्य अपशिष्ट के लिए".

7. **सूचना देने का तरीका.**—इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को इन नियमों से संलग्न विहित प्ररूप में, एक सूचना लिखित में संबोधित की जाएगी और निरीक्षण/जांच के समय पर तभी और वहीं पर परिदत्त की जाएगी या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जा सकेगी. यदि व्यतिक्रम कोई कम्पनी या सरकारी विभाग या बोर्ड या कोई अन्य अधिकरण है, तो सूचना कम्पनी या विभाग या बोर्ड या संबंधित अधिकरण के प्रमुख को भेजी जाएगी.

8. **अधिकारियों को सहायता.**—किसी ऐसे स्थान का स्वामी/अधिभोगी और प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी ऐसे स्थान का अधिभोग रखते हुए पाया जाए, जिसके संबंध में स्थानीय प्राधिकारी का कोई अधिकारी या कर्मचारी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सशक्त हो, अधिनियम और इन नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए—

(क) ऐसे प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को कर्तव्यों के निष्पादन तथा शक्तियों के प्रयोग में लाने हेतु सक्षम बनाने में उसे समस्त युक्तियुक्त सहायता देगा;

(ख) शक्तियों के प्रयोग करने तथा कर्तव्यों के निष्पादन में सभी ऐसी जानकारी देगा जैसी ऐसा अधिकारी/कर्मचारी युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करें.

प्रारूप

(नियम 7 देखिए)

मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 की धारा 7 के अधीन सूचना का प्ररूप

सूचना

(रजिस्टर्ड डाक द्वारा या निरीक्षण के समय व्यक्तिगत रूप से दिया जाए)

द्वारा

_____

_____

_____

प्रति

श्री _____

पुत्र श्री _____

पता _____

_____

महोदय,

यतः, मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 के अधीन आपके द्वारा अपराध घटित हुआ है, मैं/हम एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन सूचना देते हैं और _____ दिन के भीतर आपसे उत्तर की अपेक्षा करते हैं, जिसमें असफल रहने पर आपके खर्चे पर जैव, अनाश्य पदार्थ को हटाना सम्मिलित करते हुए यथोचित कार्रवाई की जाएगी.

सूचना के कारण के ब्यौरे :—

_____

_____

प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर,
मुद्रा.

अनुसूची

[नियम 2(ग) देखिए]

अनुक्रमांक (1)	पदार्थ का नाम (2)	उपयोग (3)
01	पोलीथिलीन	थैले, घरेलू सामान आदि
02	पोलीकार्बोनेट	गैर मंगुर सामान, हेलमेट आदि

(1)	(2)	(3)
03	पोलीप्रापलिन (पी पी)	चिकित्सीय सिरंज, आर, घरेलू सामान्य
04	पोलिस्ट्रीन	चाय/काफी मग, घरेलू उपस्कर
05	पोली विनाइल क्लोराइड (पी.वी.सी.)	आयातित तरल आर, फर्नीचाइल
06	एक्रोलोनिट्रिल ब्यूरेडीयन स्ट्राइरीन (ए.बी.एस.)	सीट कवर, हार्ड पैकिंग थर्मो प्लास्टिक सामान, विंडोफ्रेम सूटकेस आदि.
07	एसीटाल	पोलीमर सामान, पाइप, पंखें, पैनल, सूटकेस
08	एक्रिलिक	पारदर्शी सामान, फ्रेम, सजावट की वस्तुएं, फर्नीचर आदि
09	सेल्यूलोज एसीटेट	फोटोग्राफिक फिल्स, टेलीफोन, मजबूत प्लास्टिक चादर आदि
10	सेल्यूलोज एक्यूट ब्यूट्रेट	प्लास्टिक मिक्सर का एक प्रकार जो औद्योगिक प्रयोजनों में प्लास्टिक जोड़ने तथा मोड़ने आदि के लिए होता है.
11	नाइलोन	घरेलू उपयोग, श्रृंगार के संदूक, कंघे, खिलौने, रस्सियां, फ्रेम, ब्रुश आदि.

क्र. एफ 5-3-99-बत्तीस.—मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित प्राधिकारी/अधिकारियों को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए परिवादी के रूप में प्राधिकृत करती है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	प्राधिकारी/अधिकारियों के नाम (2)	रिमार्क (3)
1	नगरपालिक आयुक्त/नगर निगम का स्वास्थ्य अधिकारी	—
2	मुख्य नगरपालिक अधिकारी/नगरपालिक परिषद या नगर पंचायत का स्वास्थ्य अधिकारी	—
3	ग्राम पंचायत का सरपंच/सचिव	—
4	उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) में परिभाषित स्थानीय प्राधिकरण में फील्ड आफिसर जो सफाई निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2007

क्र. एफ 5-3-99-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड "ख" के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना/आदेश/शुद्धि-पत्र क्रमांक एफ 5-3-99-बत्तीस, दिनांक 25 अगस्त 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 469] भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 अगस्त 2017—भाद्र 4, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. 13967-194-इक्कीस-अ-(प्र.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 अगस्त, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २६ सन् २०१७

मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, २०१७

[दिनांक २२ अगस्त, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २६ अगस्त, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.].

मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, २००४ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, २०१७ है.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, २००४ (क्रमांक २० सन् २००४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा २ में, खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(झ क)"प्लास्टिक थैलियों" से अभिप्रेत है, वस्तुओं को ले जाने अथवा वितरण के प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाने वाली किसी प्लास्टिक सामग्री से बनायी गयी थैलियां, किन्तु इसमें वे थैलियां सम्मिलित नहीं हैं जो पैकेजिंग के आवश्यक भाग के रूप में निर्मित होती हैं या बनती हैं, जिसमें माल को उपयोग से पूर्व सीलबंद किया जाता है:

परन्तु यह थैली जिसका उपयोग पैकेजिंग के लिए किया जाता है, यदि वह पुन: चक्रित की गयी है तो वह प्लास्टिक थैली के रूप में मानी जाएगी;".

धारा ३ का प्रतिस्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

प्लास्टिक थैलियों के उपयोग का प्रतिषेध.

"३. राज्य सरकार, यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो प्लास्टिक थैलियों या पात्रों की मोटाई को उनके उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग के लिए अधिसूचित कर सकेगी, या अधिसूचना द्वारा, सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी भाग में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा सकेगी.".

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४.(१) मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक १ सन् २०१७) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. -194-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अधिनिमय, 2017 (क्रमांक 26 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237] भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 मई 2017—ज्येष्ठ 3, शक 1939

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2017

क्र. एफ 5-2-2015-18-5.—मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा लोकहित में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से पूर्ण प्रतिबंध लगाती है.

F 5-2-2015-18-5.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Jaiv Anaashya Apashishta (Niyantran) Adhiniyam, 2004 (No. 20 of 2004), the State Government, hereby, in the public interest completely ban the production, storage, transportation, sale and use of plastic carry bags in the entire State of Madhya Pradesh from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 4 जून, 2019

क्रमांक एफ 11-13/2019/1/9 :: भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को फेज आउट करने का संकल्प लिया गया है । भारत सरकार द्वारा लिये गये संकल्प के अनुरूप मध्यप्रदेश शासन के समस्त कार्यालयों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित किया जाता है। कार्यालयों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान डिस्पोजेबिल प्लास्टिक वस्तुऐं, प्लास्टिक कैरी बैग्स, फूड पैकेजिंग, प्लास्टिक फ्लावर पार्ट, बैनर, झंडे, पैट बाट्ल्स, कटलरी प्लेट्स, कप, ग्लास, स्ट्रा, फोर्कस, स्पून्स, पाउच/शेसे आदि तथा थर्मोकोल से निर्मित सजावट एवं अन्य सामान को प्रतिबंधित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.के. कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठ. क्रमांक एफ 11-13/2019/1/9 भोपाल, दिनांक 4 जून, 2019

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, शासन के समस्त विभाग
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
5. विशेष सहायक/निज सचिव, मान. मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र. शासन।
6. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
7. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. आयुक्त, नगरीय प्रशासन संचालनालय, शिवाजी नगर, भोपाल ।
9. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
10. अवर सचिव (अधीक्षण), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय।
11. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (7-1) की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

सीमेंट क्लिन में प्लास्टिक कचरे का सहदहन

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल